1305/10-4-96 II

550

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

Regd. No. RJ. 2777/93
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

आश्विन 5, बुधवार, शाके 1917--सितम्बर 27, 1995

Asvina 5, Wednesday, Saka 1917--September 27, 1995

भाग 4(ग)

उप-खण्ड(I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम ।

पशुपालन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 1995

जी. एस. आर. 65.---राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन (अधिनियम, 1995 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(क) इन नियमों का नाम राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 है ।

(ख) ये राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :-

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(1) "अधिनियम" से राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन (अधिनियम, 1995 अभिप्रेत है।

(2) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(3) "सरकार" और "राज्य" से क्रमशः राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(4) इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किये गये है।

3. गोवंशीय पशु के अस्थाई प्रव्रजन के लिए परमिट:–

(1) इस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन राजस्थान के दुर्भिक्ष और अभाव से ग्रस्त क्षेत्रों से राज्य में चराई के प्रयोजनों के लिए गोवंशीय पशुओं के अस्थाई प्रव्रजन की अनुज्ञा चाहने वाला कोई व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी को "प्ररूप–1" में आवेदन करेगा।

(2) प्ररूप–1 में आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी गोवंशीय पशुओं के प्रस्तावित प्रव्रजन के आवश्यक होने की परिस्थितियों का परीक्षण और मूल्यांकन करेगा। आवेदन के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में समाधान हो जाने के पश्चात् वह क्षेत्र के पशु-चिकित्सा अधिकारी को पशुओं के स्वास्थ्य की परीक्षा करने और प्रव्रजित किये जाने वाले पशुओं के शरीर पर स्थाई पहचान चिन्ह लगाने के आदेश जारी कर सकेगा।

(3) पशु-चिकित्सा अधिकारी प्ररूप-4 में प्रमाण-पत्र जारी करेगा और गोवंशीय पशु के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह लगायेगा।

(4) गोवंशीय पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी पशुओं को चराई के प्रयोजन से राजस्थान राज्य के बाहर ले जाने के लिए अनुज्ञात करते हुए प्ररूप-5 में परमिट जारी करेगा। गोवंशीय पशुओं के अस्थाई प्रव्रजन की कालावधि किसी भी स्थिति में परमिट की मंजूरी की तारीख से ठीक आगामी अगस्त मास से आगे नहीं बढ़ायी जायेगी।

(5) ऐसे अस्थाई प्रव्रजन से लौटने पर आवेदक सक्षम प्राधिकारी को उसके द्वारा वापस लाये गये पशुओं के बारे में सूचना प्ररूप-8 में फेरफारों के, यदि कोई हों, [illegible] प्ररूप के [illegible] देगा।

(6) राज्य में वापस लाये गये ऐसे गोवंशीय पशुओं की संख्या में फेरफार का स्पष्टीकरण सबूत से समर्थित होना चाहिए।

(7) यदि कोई व्यक्ति ऐसे गोवंशीय पशु राज्य में, और परमिट में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, वापस नहीं लाता है तो वह अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय होगा।

4. कृषि या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए निर्यात करने का विशेष परमिट :—

(1) अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (7) के अधीन गोवंशीय पशु के, राजस्थान राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को कृषि या डेयरी उद्योग के प्रयोजनार्थ निर्यात की अनुज्ञा चाहने वाला कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को विशेष परमिट की मंजूरी के लिए प्ररूप-2 में आवेदन करेगा।

(2) प्ररूप-2 में आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निर्यात से ऐसे गोवंशीय पशु की संख्या किसी भी रीति से स्थानीय क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता के स्तर से कम न हो जाये।

(3) अनुरोध की वास्तविकता के बारे में समाधान हो जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित पशु-चिकित्सा अधिकारी को गोवंशीय पशु के स्वास्थ्य की परीक्षा करने और उक्त पशु के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह लगाने के आदेश जारी कर सकेगा।

(4) पशु-चिकित्सा अधिकारी प्ररूप-4 में प्रमाण-पत्र जारी करेगा और गोवंशीय पशु के शरीर पर स्थाई पहचान चिन्ह लगायेगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी इस बात का समाधान हो जाने के पश्चात् विशेष परमिट जारी कर सकेगा कि गोवंशीय पशु केवल कृषि या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लिये जायेंगे।

(6) सक्षम प्राधिकारी पशुओं और उस स्थान के बारे में, जहां पशुओं का निर्यात किया जाना प्रस्तावित है, पूर्ण ब्यौरे देते हुए प्ररूप-6 में विशेष परमिट जारी करेगा।

5. पशु मेलों में भाग लेने के लिए विशेष परमिट:—

(1) अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (7) के अधीन गोवंशीय पशु की पशु मेले में भाग लेने के लिए राज्य से बाहर ले जाने की अनुज्ञा चाहने वाला कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप-3 में आवेदन करेगा।

(2) प्ररूप-3 आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चत करेगा कि ऐसे निर्यात से ऐसे गोवंशीय पशुओं की संख्या किसी भी रूप में स्थानीय क्षेत्र की वास्तविक अपेक्षा से नीचे न आ जाये।

(3) आवेदन की वास्तविकता के बारे में समाधान होने के पश्चात् सक्षम प्राधि-कारी गोवंशीय पशु के स्वास्थ्य की परीक्षा करने और ऐसे गोवंशीय पशु के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह लगाने के लिए संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी को आदेश जारी कर सकेगा।

(4) पशु-चिकित्सा अधिकारी प्ररूप-4 में प्रमाण-पत्र जारी करेगा और गोवंशीय पशु के शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह लगायेगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी आवेदक के अनुरोध की वास्तविकता के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात् पशु मेले में भाग लेने के लिए प्ररूप-7 में विशेष परमिट जारी कर सकेगा।

(6) पशु स्वामी, पशु मेले के पश्चात् अपनी वापसी पर अपने द्वारा वापस लाये गये गोवंशीय पशुओं की संख्या के बारे में फेरफार यदि कोई हो, के सबूत के साथ, प्ररूप-8 में सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा।

6. परिवाहक गोवंशीय पशुओं की लदाई के पूर्व यह सत्यापित करेगा कि इन पशुओं के लिए अधिनियम की धारा 5 के अधीन विधिमान्य विशेष परमिट जारी किया जा चुका है, ऐसा न होने पर वह अधिनियम की धारा 8 के अधीन दण्डनीय होगा।

7. गोवंशीय पशुओं का प्रभारी व्यक्ति गोवंशीय पशुओं को राज्य से बाहर ले जाते समय प्रव्रजन के लिए विधिमान्य परमिट या निर्यात के लिए विधिमान्य विशेष परमिट अपने साथ रखेगा।

ह.

(आई. एस. कावड़िया)
प्रमुख शासन सचिव।

प्ररूप सं. 1

राजस्थान राज्य के बाहर चराई के लिये गोवंशीय पशुओं के अस्थायी प्रव्रजन हेतु परमिट अभिप्राप्त करने के लिये आवेदन

(नियम 3 देखिए)

प्रेषिती,

जिला कलक्टर/सक्षम प्राधिकारी,
जिला..................
राजस्थान।

महोदय,

मैं, ... पुत्र .... निवासी ..... डाकघर .... तहसील .... जिला .... राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन, गोवंशीय पशुओं को राजस्थान राज्य के बाहर चराई के प्रयोजनार्थ ले जाने हेतु परमिट अभिप्राप्त करने के लिये, इसके द्वारा, आवेदन करता हूं। पशुओं का विवरण और संख्या नीचे दिये गये हैं :—

1 पशुओं की किस्मः—	गाय	बछिया	बछड़ा	बैल	सांड	कुल संख्या
पशुओं की संख्याः—	....	....	....	....	....	......

2. प्रव्रजन का प्रत्याशित
दिन और तारीख:—

3. लौटने की अधि संभाव्य तारीख:—

4. उस राज्य का नाम और वह स्थान:—
जहां पशु प्रव्रजित किये जायेंगे और जहां से प्रवजित किये जायेंगे
..... से ..... को

5. परमिट चाहने का कारण:—

6. वह कालावधि, जिसके लिए परमिट अपेक्षित है:—

स्थान :—

दिनांक:—

आवेदक के हस्ताक्षर और पता

प्ररूप सं. 2

राजस्थान राज्य के बाहर कृषि/डेयरी उद्योग के प्रयोजनार्थ गोवंशीय पशुओं के निर्यात हेतु विशेष परमिट अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन ।

(नियम 4 देखिए)

प्रेषिती,

जिला कलक्टर/सक्षम प्राधिकारी,
जिला .....
राजस्थान ।

महोदय,

मैं, ... पुत्र .....
निवासी ..... डाकघर ..... तहसील .....
जिला ..... राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का परिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 की उप-धारा (7) के अधीन गोवंशीय पशुओं के राजस्थान राज्य के बाहर कृषि/डेयरी उद्योग के प्रयोजनार्थ निर्यात हेतु विशेष परमिट अभिप्राप्त करने के लिए, इसके द्वारा, आवेदन करता हूं । पशुओं का विवरण और संख्या नीचे दिये गये है :—

1. पशुओं की किस्म : गायें बछिया बछड़े बैल सांड कुल संख्या
पशुओं की संख्या ... ...

2. उस व्यक्ति का नाम और पता:—
जिससे पशु क्रय/प्राप्त किये गये :

3. परमिट चाहने का कारण:–

4. उस व्यक्ति का नाम और पता– जो राजस्थान राज्य के बाहर पशुओं को रखेगा:—

5. निर्यात का अधिसंभाव्य दिन और तारीख–

स्थान :

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर और पता

प्ररूप सं. 3

राजस्थान राज्य के बाहर पशु मेले में भाग लेने के लिए गोवंशीय पशुओं के निर्यात हेतु विशेष परमिट अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन ।

(नियम 5 देखिए)

प्रेषिती,

जिला कलक्टर/सक्षम प्राधिकारी,
जिला .....
राजस्थान ।

महोदय,

मैं, ... पुत्र ..... निवासी .....
डाकघर ..... तहसील ..... जिला ..... राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 की उप-धारा (7) के अधीन निम्नलिखित विवरण और संख्या वाले, गोवंशीय पशुओं के पशु मेले में भाग लेने के लिए निर्यात हेतु विशेष परमिट अभिप्राप्त करने के लिए इसके द्वारा, आवेदन करता हूं ।

1. पशुओं की किस्म : गायें बछिया बछड़ा बैल सांड कुल संख्या
पशुओं की संख्या: ... ...

2. उस स्थान और राज्य का नाम जहां पशुओं का निर्यात किया जायेगा। से को

3. पशु मेले की नियम तारीख–

4. गोवंशीय पशुओं के निर्यात की अधिसंभाव्य तारीख–

5. पशु मेले में भाग लेने के पश्चात् लौटने की अधिसंभाव्य तारीख–

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के पूर्ण पते के साथ हस्ताक्षर

प्ररूप सं.-4

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम, 1995 के नियम 3 (3)/नियम 4 (4)/नियम 5(4) के अधीन

स्वास्थ्य और पहचान प्रमाण-पत्र

सं..... दिनांक.....

प्रमाण-पत्र

मैं डा..... प्रभारी, पशु चिकित्सालय/डिस्पेंसरी, प्रमाणित करता हूं कि मैंने श्री..... पुत्र..... निवासी..... तहसील..... जिला..... के नीचे वर्णित गोवंशीय पशु का परीक्षण किया है:—

1. पशु की किस्म..... आयु..... लिंग..... नस्ल.....
2. यदि मादा हो तो विनिर्दिष्ट करें..... गर्भवती/दुग्धीय/निर्दुग्ध
3. प्राकृतिक पहचान चिन्ह..... (रंग, भंवरियां, सींग, पूंछ की स्थिति वालों के गुच्छे सहित)
4. स्थायी पहचान चिन्ह.....

टीका अभिलेख दिनांक.....

हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया (गल घोंट)
ब्लेक क्वार्टर (जहरबाद)
पैर और मुँह का रोग
रिण्डरपेस्ट (पशु माता)
अन्य कोई (विनिर्दिष्ट करें)

पशु चराई के प्रयोजनार्थ प्रव्रजन के लिए/कृषि या डेयरी उद्योग के प्रयोजनार्थ निर्यात के लिए/पशु मेले में भाग लेने के लिए उपयुक्त है। (जो लागू न हो उसे काट दें)

स्थान :
दिनांक :

पशु चिकित्सा अधिकारी
के मुहर सहित हस्ताक्षर

Vi 557

प्ररुप सं.–5

गोवंशीय पशुओं के राजस्थान राज्य से बाहर प्रव्रजन के लिए परमिट

(नियम 3 देखिए)

परमिट सं. . . . . दिनांक. . . . .

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जिला कलक्टर/सक्षम प्राधिकारी, जिला. . . . . निम्नलिखित विवरण और संख्या वाले गोवंशीय पशुओं के राजस्थान राज्य से बाहर चराई हेतु प्रव्रजन के लिए, इसके द्वारा, अनुज्ञा देता हूं:–

पशु के स्वामी का नाम . . . .

डाक का पूर्ण पता . . . .

पशु की किस्म : गाय बछिया बछड़ा बैल सांड कुल संख्या

पशुओं की संख्या . . . .

पशु(ओं) के पहचान चिन्ह

(स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संख्या. . . . . .दिनांक. . . . . .के दिये गये अनुसार)

परमिट जारी करने की तारीख. . . . .

परमिट . . . . .दिनों के लिए. . . . . .से . . . .,
तक विधिमान्य होगा ।

आवेदक को ऊपर उल्लिखित गोवंशीय पशु परमिट के अवसान पर या उसके पूर्व वापस लाने होंगे और विहित प्ररूप में रिपोर्ट करनी होगी । यदि उसके द्वारा वापस लाये गये गोवंशीय पशुओं की संख्या में कोई भी फेरफार हो तो वह उसके कारणों को सबूत सहित सूचित करेगा ।

स्थान : कार्यालय की मुहर

दिनांक :

सक्षम प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और पदाभिधान

प्ररूप सं. 6

गोवंशीय पशुओं के राजस्थान राज्य से बाहर कृषि/डेयरी उद्योग के प्रयोजनार्थ निर्यात के लिये विशेष परमिट

(नियम 4 देखिए)

परमिट संख्या———— दिनांक————

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशोध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनिमयन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 की उप-धारा (7) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जिला कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी, जिला———— निम्नलिखित विवरण और संख्या वाले गोवंशीय पशु (ओं) को राजस्थान राज्य के बाहर कृषि/डेयरी उद्योग के प्रयोजनार्थ निर्यात के लिए, इसके द्वारा अनुज्ञा देता हूं।

पशुओं की किस्म : गाय बछिया बछड़ा बैल सांड पशुओं की कुल संख्या

पशुओं की संख्या :———— ———— ———— ———— ———— ————

पशुओं के पहचान चिन्ह

(स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संख्या————दिनांक————में दिये गये अनुसार)

उस व्यक्ति का नाम और पता जिससे पशु खरीदे गये/प्राप्त किये गये ।

उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे पशु निर्यात किये जाने हैं ।

स्थान : कार्यालय की मुहर

दिनांक :

सक्षम प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और पदाभिधान

————

559

प्रपत्र सं-7

राजस्थान राज्य के बाहर पशु मेले में भाग लेने हेतु गोवंशीय पशुओं के निर्यात के लिए विशेष परमिट

(नियम 5 देखिए)

परमिट सं.---------- दिनांक-----------------

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 की उप-धारा (7) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जिला कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी, जिला--------------- निम्नलिखित विवरण और संख्या वाले गोवंशीय पशु (ओं) को राज्य--------------- जिले के----------------(स्थान) पर पशु मेले में भाग लेने हेतु राजस्थान राज्य के बाहर निर्यात के लिए, इसके द्वारा, अनुज्ञा देता हूं।

स्वामी का नाम और पता-----------------------

पशुओं की किस्म : गाय बछिया बछड़ा बैल सांड पशुओं की कुल संख्या

पशुओं की संख्या : ----- ------ ------ ----- ----- ----------

पशु(ओं) के पहचान चिन्ह

(स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संख्या------------दिनांक------------में दिये गये अनुसार)
परमिट जारी करने की तारीख
परमिट-------------दिनों के लिए, ---------से--------तक विधिमान्य रहेगा।

आवेदक को ऊपर उल्लिखित गोवंशीय पशु परमिट के अवसान पर या उसके पूर्व वापस लाने होंगे और विहित प्रारूप में रिपोर्ट करनी होगी। यदि उसके द्वारा वापस लाये गोवंशीय पशुओं की संख्या में कोई भी फेरफार हो, तो वह उसके कारणों को सबूत सहित सूचित करेगा।

स्थान : कार्यालय की मुहर

दिनांक : सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिधान

560

प्रपत्र सं. 8

राजस्थान राज्य में वापस लाये गये गोवंशीय पशुओं की संख्या में फेरफार की रिपोर्ट के लिए आवेदन

(नियम 3 और 5 देखिए)

प्रेषिती,

जिला कलक्टर/सक्षम प्राधिकारी,
जिला ....
राजस्थान।

मैं, ... पुत्र ....
निवासी .... तहसील .... जिला ....
परमिट सं. .... दिनांक ....के अधीन निम्नलिखित संख्या में गोवंशीय पशुओं को चराई/पशु मेले में भाग लेने के लिए ले गया था:—

1. पशुओं की किस्म:	गाय	बछिया	बछड़ा	बैल	सांड	कुल संख्या
2. पशुओं की संख्या:	——	——	——	——	——	——

3. स्थायी पहचान चिन्ह

अब मैं, निम्नलिखित संख्या में पशुओं को राजस्थान राज्य में वापस लाया हूं:—

1. पशुओं की किस्म:	गाय	बछिया	बछड़ा	बैल	सांड	कुल संख्या
2. पशुओं की संख्या:	——	——	——	——	——	——

3. स्थायी पहचान चिन्ह

अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (5) और इन नियमों के नियम 3 के उप-नियम (5) और उप-नियम (6) के अधीन मैं, इसके द्वारा, राज्य में वापस लाये गये पशुओं की संख्या में फेरफार को सबूत सहित निम्नलिखित रूप से सूचित करता हूं:—

मृत/पशु मेले में डेयरी उद्योग के प्रयोजनार्थ विक्रीत गायों की संख्या...................
मृत/पशु मेले में डेयरी उद्योग के प्रयोजनार्थ विक्रीत बछियों की संख्या..................
मृत/पशु मेले में कृषि/डेयरी प्रयोजनार्थ विक्रीत बछड़ों की संख्या ....
मृत/पशु मेले में कृषि प्रयोजनार्थ विक्रीत बैलों की संख्या..........................
मृत/पशु मेले में कृषि/नस्ल प्रयोजनों के लिए विक्रीत सांडों की संख्या..................
(मृत्यु की दशा में, मृत्यु/शव परीक्षण प्रमाण-पत्र सबूत के रूप में संलग्न करें और पशु मेले में विक्रय की दशा में विधिमान्य विक्रय प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)

स्थान :   परमिटधारक के हस्ताक्षर
दिनांक :   और पूर्ण पता

[क्रमांक एफ. 2 (63) कृ-VI/88—III]

ह.
(आई. एस. कानडिया)
प्रमुख शासन सचिव